[2023] 11 एस**.** सी**.** आर **130:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी **744**

मुकदमों का विवरण

एसएमटी। शिरामबाई डब्ल्यू/ओ पुंडलिक भावे और अन्य

वी.

ओ. आई. सी. रिकॉर्ड्स, सेना कॉर्प्स अभिलिख, गया, बिहार राज्य और अन्य के लिए कप्तान, रिकॉर्ड अधिकारी। (2023 की सिविल अपील संख्या 5262)

18 अगस्त, 2023

[हिमा कोहली और राजेश बिंदल**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की माँ और उसके बच्चों को अस्वीकार करने का आदेश, उसके पति-सैन्य कर्मियों की मृत्यु पर देय पेंशन प्राप्त करने का अधिकार स्थायी है, जहां सैन्य कर्मियों ने कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ उसकी शादी के निर्वाह के दौरान अपीलार्थी और उनके रिश्ते से पैदा हुए दो बच्चों के साथ शादी का अनुबंध किया था, लेकिन बाद में तलाक का एक फरमान पारित किया गया था, जिसमें उक्त शादी को भंग कर दिया गया था और इस बीच, सैन्य कर्मियों को सेवा से छुट्टी दे दी गई थी और सेवा पेंशन प्रदान की गई थी।

सेवा कानूनःपेंशन लाभ**-**पारिवारिक पेंशन**-**सरकारी कर्मचारी के साथ पत्नी के रूप में रहने वाली महिला का दावा**-**उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक और उसके बच्चों को पारिवारिक पेंशन के दावे से इनकार**-**इसकी स्थिरता **-**

आयोजित किया गयाःस्थायी नहीं-मृतक और आवेदक के बीच विवाह की वैधता के पक्ष में अनुमान लगाया जाना चाहिए था-अधिक, जब उसके जीवन काल के दौरान, सैन्य कर्मियों ने उसकी पिछली पत्नी के नाम को उसके सेवा रिकॉर्ड से हटाने और आवेदक के नाम का समर्थन करने की मांग की, जिस पर अधिकारियों द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई-साथ ही पूर्व पत्नी ने अधिकारियों से किसी भी पारिवारिक पेंशन का दावा नहीं किया-इसके अलावा, आवेदक से पैदा हुए दो बच्चों को उच्च न्यायालय द्वारा सैन्य कर्मियों की संपत्ति का हकदार ठहराया गया है-इस प्रकार, आवेदक सैन्य कर्मियों की मृत्यु पर देय पेंशन प्राप्त करने का हकदार है-बच्चे 25 131 वर्ष की आयु तक उक्त राहत के हकदार हैं।

130

एसएमटी। शिरामबाई बनाम कप्तान, रिकॉर्ड अधिकारी सेना कॉर्प्स अभिलेख, गया, बिहार राज्य

वर्ष-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961-नियम 219 (iii)।[पारस 11,16,20 और 21,22]

सेवा कानूनःपेंशन लाभ-पारिवारिक पेंशन-सरकारी कर्मचारी के साथ पत्नी के रूप में रहने वाली महिला का दावाः

आयोजित किया गयाःयदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में रहते हैं, तो उनके पक्ष में यह धारणा है कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे और दावेदार पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।[पैरा 11 और 21]

साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**धारा **114-**न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है-पुरुष और महिला लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में सहवास कर रहे हैं। **114:**

आयोजित किया गयाःविवाह के पक्ष में एक धारणा होगी जब पुरुष और महिला लगातार लंबे समय तक सहवास करते हैं-हालाँकि, इस धारणा का खंडन किया जा सकता है और निर्विवाद साक्ष्य का नेतृत्व करके इसका खंडन किया जा सकता है-जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है जो इस तरह की धारणा को कमजोर करती है, तो अदालतों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए-बोझ उस पक्ष पर भारी पड़ता है जो सहवास पर सवाल उठाना चाहता है और कानूनी पवित्रता के रिश्ते को वंचित करना चाहता है।[पैरा 20]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

इंद्र सरमा बनाम वी. के. वी. सरमा (2013) 15 एस. सी. सी. 755:[2013] 14 एससीआर

1019; धनूलाल और अन्य बनाम गणेशराम और एक अन्य (2015) 12 एस. सी. सी. 301:[2015] 4 एस. सी. आर. 199; कट्टुकंडी एडथिल कृष्णन और एक अन्य बनाम कट्टुकंडी

इडाथिल वाल्सन और अन्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 737; एंड्राहेनेडिगे

दीनोहामी और एक अन्य बनाम विजेतुंगे लियानापाताबेन्डिगे बालाहामी और अन्य 1927 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 51; मोहब्बत अली खान बनाम मुहम्मद इब्राहिम खान और अन्य 1929 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 21; बद्री प्रसाद बनाम डी. निर्देशक

एकीकरण और अन्य (1978) 3 एस. सी. सी. 527:[1979] 1 एस. सी. आर 1; एस. पी. एस.

बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन उर्फ अंडाली पदयाची और अन्य (1994) 1 एस. सी. सी. 460; गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी उर्फ उषा रानी (1952) 1 एस. सी. सी. 713;

तुलसा और अन्य बनाम दुर्गतिया और अन्य (2008) 4 एस. सी. सी. 520:[2008] 1 एससीआर 709; मदन मोहन सिंह और अन्य बनाम रजनी कांत और एक अन्य

(2010) 9 एससीसी 209:[2010] 10 एस. सी. आर. 30-संदर्भित।

132 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 5262

2023.

2010 के आर. एस. ए. No.6079 में धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

राहुल जोशी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., आर. बाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. के. कौल, शरत नांबियार, सौतम भारद्वाज, सुश्री इंदिरा भाकर, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

हिमा कोहली, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थीगण धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ द्वारा पारित 25 जून, 2013 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, बेलगाम 2 द्वारा पारित 16 सितंबर, 2010 के फैसले और डिक्री के खिलाफ उनके नेतृत्व में नियमित दूसरी अपील 1 को खारिज कर दिया गया है।16 सितंबर, 2010 के फैसले के माध्यम से, विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश ने विद्वान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) चीकोडी 3 द्वारा पारित 22 दिसंबर, 2007 के फैसले और डिक्री को उलट दिया, जिसके तहत अपीलार्थीगण द्वारा इस आशय की घोषणा करने के लिए दायर किए गए मुकदमे के तहत कि अपीलकर्ता नं। 1 स्वर्गीय सूबेदार पुंडलिक भावे 4 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी और अपीलकर्ता नं। 2 और 3 उनके वैध बच्चे हैं, उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था और यह माना गया था कि वे यहां प्रत्यर्थीगणओं द्वारा देय और मृतक सूबेदार भावे के नाम पर खड़े पेंशन लाभ के हकदार थे।

1 2010 की नियमित दूसरी अपील संख्या 6079 (डी. ई. सी.) 2 2008 की नियमित अपील संख्या 70

3 मूल सूट संख्या 73/05 में

4 संक्षेप में "स्वर्गीय सूबेदार भावे"

एसएमटी। शिरामबाई बनाम कप्तान, रिकॉर्ड अधिकारी सेना कॉर्प्स अभिलेख, गया, बिहार राज्य [हिमा कोहली, जे.]3. विवाद को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 स्वर्गीय सूबेदार भावे वर्ष 1960-5 में सेना में भर्ती हुए थे।17 जुलाई, 1972 को उनकी शादी श्रीमती से हुई। पार्वती जिनका लगभग ढाई साल में निधन हो गया।इसके बाद मृतक ने श्रीमती से शादी कर ली। अनुसूया 7.अनुसूया के साथ अपनी शादी के निर्वाह के दौरान, उन्होंने अपीलार्थी नं.1 यहाँ 8.अपीलार्थीगण सं. 2 और 3 मृतक और अपीलार्थी सं.1. 25 जनवरी, 1984 को मृतक को उनके अनुरोध पर सेवा से छुट्टी दे दी गई और उन्हें प्रति माह 376/- (केवल तीन सौ छत्तर रुपये) की दर से सेवा पेंशन दी गई।15 नवंबर, 1990 को मृतक और अनुसूया को आपसी सहमति से तलाक का फरमान जारी किया गया और उन्होंने उसे 15,000/- (केवल पंद्रह हजार रुपये) की एकमुश्त राशि का भुगतान किया। इसके बाद, मृतक ने अनुसूया का नाम हटाने और पी. पी. ओ. में अपीलार्थी संख्या 1 के नाम का समर्थन करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क किया। उन्होंने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बहिरेवाड़ी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र 10 भी प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि उन्होंने और अपीलार्थी संख्या 1 ने शादी के प्रमाण के रूप में अपने शादी के कार्ड की एक प्रति के साथ शादी की थी।3.2.सूबेदार भावे का वर्ष 2001-11 में निधन हो गया।इसके बाद, अपीलार्थी संख्या 1 ने पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थीगणओं से संपर्क किया। हालाँकि, उक्त अनुरोध को 13 प्रत्यर्थीगण ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि मृतक का नवंबर, 1990 में तलाक हो गया था, जबकि अपीलार्थी संख्या 1 ने दावा किया कि उसने फरवरी, 1981 में पहले की शादी के दौरान उससे शादी की थी।

3.3.2005 में, अपीलार्थीगण ने घोषणा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मृतक सूबेदार भावे के निधन पर देय पेंशन लाभों को वितरित करने के लिए प्रत्यर्थीगणओं को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।जैसा कि ऊपर देखा गया है, निचली अदालत ने अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त मुकदमे का फैसला सुनाया और कहा कि वे मृतक का अंतिम लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

5 21 जुलाई, 1960 को

6 26 जनवरी, 1975 को 7 17 मार्च, 1975 को 8 21 फरवरी, 1981 को 9 एम. सी. नं.

10 दिनांक 08 अक्टूबर, 1994-11 12 जनवरी, 2001

12 09 जुलाई, 2001 के आवेदन के माध्यम से 13 दिनांक 1 अक्टूबर, 2001 के पत्र के माध्यम से 134

विशेष रूप से, क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी अनुसूया द्वारा उक्त राशि पर कभी कोई दावा नहीं किया गया था।उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थीगण ने एक अपील 14 को प्राथमिकता दी, जिसकी अनुमति दी गई और विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया।उक्त आदेश पर अपीलार्थीगण द्वारा एक नियमित दूसरी अपील 15 में हमला किया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।तत्पश्चात, पुनरीक्षण आवेदन के आधार पर, न्यायालय ने 16 में स्पष्ट किया कि इसमें अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 स्वर्गीय सूबेदार भावे की संपत्ति के हकदार होंगे जो प्रत्यर्थीगण की अभिरक्षा में है।

4. अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल जोशी ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अपीलार्थी संख्या 1 को मृतक सूबेदार भावे की पत्नी के रूप में इस आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता है कि उनकी शादी अनुसूया के साथ उनकी शादी के दौरान हुई थी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 17 की धारा 5 (1) के तहत लगाया गया प्रतिबंध जो किसी भी दो हिंदुओं के बीच इस शर्त पर किए गए विवाह को मान्यता देता है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी नहीं है, अपीलकर्ता संख्या 1 के मामले को उनके बीच लंबे समय तक रहने के कारण मृतक की पत्नी के रूप में मान्यता देने के लिए पूर्वाग्रहित नहीं करेगा, जो परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच विवाह के वैध होने के अनुमान को आकर्षित करेगी, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम, 1872-18 की धारा 114 के तहत विचार किया गया है।धारा 114 न्यायालय को कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगाने की अनुमति देती है जो उसे लगता है कि किसी विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में हुए होने की संभावना है।यह तर्क दिया गया कि मृतक और अपीलार्थी संख्या 1 के बीच वैध विवाह की उक्त धारणा तत्काल मामले में मजबूत हो जाती है क्योंकि अपने जीवनकाल के दौरान, मृतक ने अपनी सेवा पुस्तिका में अपीलार्थी संख्या 1 के नाम का समर्थन करने के लिए एक आवेदन के साथ प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया था।
5. अपीलार्थीगण की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही अपीलार्थी संख्या 1 की स्थिति को मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी की स्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता था, जब तक कि तलाक की डिक्री नहीं दी गई थी, अनुसूया के साथ उसकी शादी को विघटित करते हुए, उक्त तिथि के बाद, यानी 16 नवंबर, 1990 से मृतक 19 की मृत्यु की तारीख तक, वह और

14 2008 की नियमित अपील सं. 70

15 2010 की नियमित दूसरी अपील संख्या 6079

16 16 अक्टूबर, 2014 के आदेश के माध्यम से

17 संक्षेप में "एच. एम. ए".

18 संक्षेप में 12 जनवरी, 2001 को 'साक्ष्य अधिनियम' 19 135

एसएमटी। शिरामबाई बनाम कप्तान, रिकॉर्ड अधिकारी सेना कॉर्प्स अभिलेख, गया, बिहार राज्य [हिमा कोहली, जे.] 136

अपीलार्थीगण सं. 1 सहवास कर रहा था, जिससे अपीलार्थीगण मृतक के पेंशन लाभ का दावा करने के हकदार थे।यह भी बताया गया कि किसी भी स्तर पर पहली पत्नी, अर्थात् अनुसूया ने मृतक के पेंशन लाभ पर कोई दावा नहीं किया था और इसलिए, प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण के वैध दावे को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब अपीलार्थी नं। 1 ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मृतक के साथ पुरुष और महिला के रूप में बिताया था और नवंबर, 1990 में तलाक की डिक्री पारित होने के बाद उनके रिश्ते पर पड़ने वाली कोई भी छाया दूर हो गई, जिसमें मृतक और अनुसूया की शादी को भंग कर दिया गया था।इस निवेदन को प्रमाणित करने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने इंद्र सरमा में निर्णयों का हवाला दिया है।

वी.वी. के. वी. सरमा **20,** धनूलाल और अन्य बनाम गणेशराम और अन्य **21** और कट्टुकंडी एडथिल कृष्णन और एक अन्य बनाम कट्टुकंडी एडथिल वल्सन और

अन्य 22 इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए।6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने विवादित फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि मृतक अपीलार्थी संख्या 1 और मृतक के बीच विवाह एच. एम. ए. की धारा 11 के तहत एक अमान्य विवाह है, क्योंकि उक्त विवाह सूबेदार भावे और अनुसूया के बीच विवाह के निर्वाह के दौरान किया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अमान्य विवाह को विवाह के विघटन और मृतक और अपीलार्थी संख्या 1 के सहवास के आधार पर कानूनी पवित्रता नहीं दी जा सकती है।

7. विद्वान ए. एस. जी. ने सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 के विनियम 219 का भी उल्लेख किया जो पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित करता है और प्रस्तुत करता है कि विनियम 219 (iii) यह स्पष्ट करता है कि एक विधवा जो विवाहित नहीं है, वह पेंशन लाभ का हकदार है और अपीलकर्ता संख्या 1, जो कानून में मान्यता प्राप्त मृतक की विधवा नहीं है, किसी भी राहत का हकदार नहीं है।जहाँ तक स्वर्गीय सूबेदार भावे और अपीलार्थीगण 1 की अपील संख्या 2 और 3 का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे भी विनियमों के तहत किसी भी राहत के हकदार नहीं होंगे, जहाँ तक कि दोनों उक्त अपीलार्थी 25 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, जबकि विनियम 219 (iv) के तहत, एक कर्मचारी का बेटा पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा यदि वह 25 वर्ष से कम आयु का है।अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक ने प्रत्यर्थीगणओं को केवल वर्ष 1990 में अपीलार्थी संख्या 1 के साथ विवाह करने के बारे में सूचित किया था।उसने दबाया था

20 (2013) 15 एससीसी 755 21 (2015) 12 एससीसी 301

22 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 737 23 संक्षेप में "ए. एस. जी". के लिए

उक्त तथ्य जब तक कि उन्हें 1984 में सेवा से छुट्टी नहीं दे दी गई।यदि इस तथ्य को अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता, तो मृतक के खिलाफ कदाचार के लिए उचित कार्रवाई की जाती।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को सुना है, अभिलेखों और विवादित निर्णय का अध्ययन किया है।जिस सीमित मुद्दे का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थीगण देर से मिलने वाले पेंशन लाभ का दावा करने के हकदार होंगे।सूबेदार भावे तत्काल मामले के तथ्यों में जहां उन्होंने अनुसूया के साथ अपनी शादी के निर्वाह के दौरान अपीलार्थी संख्या 1 से शादी की थी, लेकिन बाद में तलाक की डिक्री पारित की गई, जिसमें उक्त शादी को भंग कर दिया गया।

9. जैसा कि ऊपर देखा गया है, सूबेदार भावे की पहली पत्नी का निधन वर्ष 1975-24 में हुआ था।17 मार्च, 1975 को उन्होंने अनुसूया से शादी की थी।ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विवाह से कोई विवाद नहीं था।मृतक ने अनुसूया 25 के साथ अपनी शादी के निर्वाह के दौरान अपीलार्थी संख्या 1 के साथ विवाह किया।तीन साल बाद, उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई और सेवा पेंशन दी गई।मृतक और अनुसूया के बीच आपसी सहमति से तलाक केवल नवंबर, 1990 में हुआ।तलाक की उक्त डिक्री पर कोई सवाल नहीं है।यह भी विवाद में नहीं है कि मृतक ने अनुसूया के नाम को हटाने और अपनी सेवा पुस्तिका में अपीलार्थी संख्या 1 के नाम का समर्थन करने के लिए प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया था।उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मृतक की सेवा पुस्तिका में अपीलार्थी संख्या 1 का नाम उसकी पत्नी के रूप में शामिल किया था, जो प्रत्यर्थीगण के नेतृत्व वाले दस्तावेज़ 26 एफ. आई. से उनके जवाबी हलफनामे के साथ स्पष्ट है।उक्त दस्तावेज़ की सामग्री तैयार संदर्भ के लिए नीचे दी गई है:-

“

सेना सेवा कोर अभिलेख

(पशु परिवाहन)

एएससी रिकॉर्ड्स (एटी)

पहाड़पुर, गया 823005

जेसी-85229/डॉस/ईएफपी = II

05 जुलाई 99

एसएमटी। शिरामबाई बनाम कप्तान, रिकॉर्ड अधिकारी सेना कॉर्प्स अभिलेख, गया, बिहार राज्य [हिमा कोहली, जे.] 138

राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति 380, सोनवर पेठ, चिकोडी

जिला।बेलगाम (कर्नाटक) 591201 परिवार में शामिल होने की समाप्ति अधिसूचना 1.अपने पत्र नं. एन पूर्व सी. ओ./सी. ई. डी. दिनांक 22 मई 99

2. प्रथम पत्नी श्रीमती के तलाक के संबंध में व्यक्तिगत घटना। अनुसूया को इस ऑफ़िसी सीई पंडित द्वितीय आदेश सं. NE/021/0002/89 और आगे श्रीमती से शादी की। 'शिरमाबाई' (दूसरी पत्नी) को भी पब बनाया गया है। द्वितीय आदेश सं। एन. ई./021/0003/99 और दोनों मामले सेवा दस्तावेज में दर्ज किए गए हैं।एसडी/-

कैप्टन।

आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड करें

ओ. आई. सी. रिकॉर्ड के लिए "10. वर्ष 2001 में सूबेदार भावे की मृत्यु पर, जब अपीलार्थी संख्या 1 ने पारिवारिक पेंशन का दावा करते हुए प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया, तो उक्त अनुरोध को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि स्वर्गीय सूबेदार भावे के साथ उनकी शादी फरवरी, 1981 में हुई थी, जबकि उनका और अनुसूया का बहुत बाद में, वर्ष 1990 में तलाक हो गया था।

11. अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, तो कोई उनके पक्ष में यह अनुमान लगा सकता है कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे।यह अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत लगाया जा सकता है जिसमें कहा गया हैः

“114. न्यायालय विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है, जिसके होने की संभावना है।”

12. उपरोक्त संदर्भ में**,** हम ए नंद्रहेनेडिगे दिनोहामी का उल्लेख कर सकते हैं।

और एक अन्य बनाम विजेतुंगे लियानापाताबेन्डिगे बालाहामी और अन्य **27,**

जहाँ प्रिवी काउंसिल ने इस प्रकार टिप्पणी कीः“.....जहाँ एक पुरुष और महिला को पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए साबित किया जाता है, कानून यह मान लेगा, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया जाता है,

27 1927 एससीसी ऑनलाइन पीसी 51

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे न कि रखैल की स्थिति में।

XXX

XXX

XXX

“दल एक ही घर में बीस साल तक एक साथ रहे और उनके आठ बच्चे पैदा हुए।पति ने अपने जीवन के दौरान अपनी पत्नी और बच्चों को उचित प्रावधानों द्वारा मान्यता दी।जिला पंजीयक के साक्ष्य से पता चलता है कि वर्षों तक पक्षों को विवाहित नागरिकों के रूप में मान्यता दी गई थी, और यहां तक कि पारिवारिक समारोहों और समारोहों, जैसे कि, विशेष रूप से, डॉन एंड्रिस और बालाहामी द्वारा परिवार के घर में रिश्तेदारों और अन्य मेहमानों का स्वागत मेजबान और परिचारिका के रूप में किया गया था-ऐसे सभी कार्य केवल इस आधार पर किए गए थे कि वे पुरुष और पत्नी थे।पति या पत्नी या किसी के द्वारा इस संबंध के खंडन का कोई सबूत नहीं है।”

13. मोहब्बत अली खान बनाम मुहम्मद इब्राहिम खान और

अन्य 28, यह फिर से प्रिवी काउंसिल द्वारा देखा जा रहा था कि:“....कानून विवाह के पक्ष में और रखैल के खिलाफ मानता है जब एक पुरुष और एक महिला कई वर्षों तक लगातार सहवास करते हैं।

14. इसी तरह, बद्री प्रसाद बनाम डिप्टी में। समेकन निदेशक और

अन्य 29, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:“.....विवाह के पक्ष में एक मजबूत धारणा उत्पन्न होती है जहां साथी पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहे हैं।हालाँकि इस धारणा का खंडन किया जा सकता है, लेकिन उस पर एक भारी बोझ पड़ता है जो कानूनी मूल के संबंध को वंचित करना चाहता है।कानून वैधता के पक्ष में झुकता है और कमीने पर गुस्सा करता है।

15. एस. पी. एस. बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुत्तायन उर्फ अंडाली

पदयाची और अन्य 30, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:“4. इस न्यायालय द्वारा जो तय किया गया है वह यह है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं तो दोनों के बीच मौजूद विवाह की वैधता के कानून में एक धारणा उत्पन्न होती है।लेकिन इस धारणा का खंडन किया जा सकता है (देखें गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी 31)।

28 1929 एससीसी ऑनलाइन पीसी 21 29 (1978) 3 एससीसी 527 30 (1994) 1 एससीसी 460 31 (1952) 1 एससीसी 713 139

एसएमटी। शिरामबाई बनाम कप्तान, रिकॉर्ड अधिकारी सेना कॉर्प्स अभिलेख, गया, बिहार राज्य [हिमा कोहली, जे.] 140

16. यह सच है कि विवाह के पक्ष में एक धारणा होगी यदि साथी पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते थे, लेकिन उक्त धारणा का खंडन किया जा सकता है, हालांकि यह साबित करने के लिए उस व्यक्ति पर भारी जिम्मेदारी डाली जाती है जो संबंध को उसके कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है।

कोई शादी नहीं हुई थी (संदर्भः तुलसा और अन्य बनाम दुर्गतिया और अन्य 32)।

17. मदन मोहन के मामले में भी इस अदालत ने ऐसा ही विचार रखा है।

सिंह और अन्य बनाम रजनी कांत और अन्य 33, इंद्र सरमा बनाम वी. के. वी. सरमा (ऊपर) और धनूलाल और अन्य बनाम गणेश्राम और अन्य।

18. गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी उर्फ उषा रानी के मामले में

(ऊपर) इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः"……पति और पत्नी के रूप में पुरुष और महिला का निरंतर सहवास और कई वर्षों तक उनके साथ इस तरह का व्यवहार विवाह की धारणा को बढ़ा सकता है, लेकिन लंबे समय तक सहवास से उत्पन्न होने वाली धारणा का खंडन किया जा सकता है और यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो उस धारणा को कमजोर और नष्ट करती हैं, तो अदालत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती है।"

19. कट्टुकंडी एडथिल वल्सन के मामले (ऊपर) में, उपरोक्त का हवाला देते हुए

निर्णयों और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने उक्त मामले के तथ्यों में यह अभिनिर्धारित किया कि वादी के माता-पिता के बीच उनकी लंबी सहवास स्थिति के आधार पर विवाह का अनुमान था, जो उन्हें वाद अनुसूची संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने का अधिकार देता है।

20. उपरोक्त निर्णयों से यह पता लगाया जा सकता है कि कानून विवाह के पक्ष में एक धारणा का अनुमान लगाता है जब एक पुरुष और महिला ने लंबे समय तक लगातार सहवास किया हो।इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त धारणा का खंडन किया जा सकता है और निर्विवाद साक्ष्य का नेतृत्व करके इसका खंडन किया जा सकता है।जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है जो इस तरह की धारणा को कमजोर करती है, तो अदालतों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।बोझ उस पक्ष पर बहुत अधिक है जो सहवास पर सवाल उठाना चाहता है और कानूनी पवित्रता के संबंध को वंचित करना चाहता है।21. तत्काल मामले में, यदि स्वर्गीय सूबेदार भावे और अनुसूया के बीच विवाह 15 नवंबर, 1990 को ही भंग हो गया था, तो वर्ष 1990 तक की अवधि को बाहर रखा जाना था, तथ्य यह है कि इसके बाद भी,

32 (2008) 4 एससीसी 520 33 (2010) 9 एससीसी 209

मृतक ने वर्ष 2001 में अपनी मृत्यु तक ग्यारह लंबे वर्षों तक अपीलार्थी संख्या 1 के साथ रहना जारी रखा था।अपीलार्थीगण संख्या 1 मृतक के साथ संबंध से पैदा हुए दो बच्चों की माँ थी, अर्थात्, अपीलार्थीगण Nos.2 और 3।अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 को उनके द्वारा दायर समीक्षा आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर मृतक की संपत्ति का हकदार ठहराया गया है।उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मृतक और अपीलार्थी संख्या 1 के बीच विवाह की वैधता के पक्ष में एक अनुमान लगाया जाना चाहिए था, विशेष रूप से तब जब मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान अपनी पिछली पत्नी अनुसूया का नाम अपने सेवा रिकॉर्ड से हटाने और उसमें अपीलार्थी संख्या 1 के नाम के समर्थन के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों से संपर्क किया था, जिस पर प्रत्यर्थीगणओं द्वारा 05 जुलाई, 1999 के पत्र के माध्यम से विधिवत कार्रवाई की गई थी।यह भी विवाद में नहीं है कि पूर्व पत्नी ने सूबेदार भावे के निधन पर प्रत्यर्थीगणओं से किसी भी पेंशन का दावा नहीं किया था।

22. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच द्वारा 16 सितंबर, 2010 के आदेश का समर्थन करते हुए पारित 25 जून, 2013 के विवादित फैसले को प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है और तदनुसार, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।विद्वान सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), चिकोडी द्वारा पारित 22 दिसंबर, 2007 के निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया गया है।अपीलार्थी संख्या 1 स्वर्गीय सूबेदार भावे के निधन पर देय पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।जहां तक अपीलार्थीगण संख्या 2 और 3 का संबंध है, वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक उक्त राहत के हकदार होंगे।

23. पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन